न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसारR.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–596 / 2022 निर्णय दिनांक :–27.02.2026

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. राजाराम पुत्र कालू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. कल्याणी पत्नि गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. किशनलाल पुत्र गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. महावीर पुत्र गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. बाबूलाल पुत्र गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
6. रामस्वरूप पुत्र गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
7. गंगा पुत्री गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
8. सीता पुत्री गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
9. गीता पुत्री गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
10. गलकू पुत्री गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
11. मदनी पुत्री गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
12. कमला पुत्री गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
13. सेठानी पुत्री गोरू जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
14. सीता देवी पत्नि रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
15. सुमन पुत्री रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
16. माया पुत्री रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
17. सीमा पुत्री रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
18. राकेश पुत्र रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
19. कृष्णा पुत्री रामलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
20. दारासिंह पुत्र रामलाल जाति जाट उम्र नाबालिग जरिये सरंक्षक माता सीता देवी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

Ruby

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. कैलाश पुत्र रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. कैलाशी पुत्री रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. प्रेमदेवी पत्नि रामकल्याण जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. प्रियंका पुत्री रामकल्याण जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
6. मुकेश कुमार दत्तक पुत्र बजरंगा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
7. मदनलाल पुत्र रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
8. रामविलास पुत्र रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
9. शैतानसिंह पुत्र रामकल्याण जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
10. सीताराम पुत्र रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
11. सोभाग पुत्री रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
12. हंसा पुत्री रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
13. जगदीश पुत्र रामचन्द्रा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
14. देव पत्नि जगदीश जाति जाट उम्र बालिग निवासी सुखपुरा प0 बालूंदा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

उपस्थिति :–

श्री आलोक शर्मा **तहसीलदार नगरफोर्ट**

अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 13 के पिता व पति गोरू एवं प्रार्थी संख्या 14 ता 20 के पिता व पति रामलाल एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 13 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नं0 25 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का बालून्दा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 मे स्थिति है। राजस्व रिकार्ड मे आराजी खसरा नं0 323 गै0मु0 रास्ता दर्ज है एवं खसरा नं0 21 रकबा 0.36 है0 सिवायचक दर्ज है तथा खसरा नं0 22 रकबा 0.41 है0 अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 की खातेदारी मे दर्ज है एवं खसरा नं0 24 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 रास्ता प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 13 के पिता व पति गौरू एवं प्रार्थी संख्या 14 ता 20 के पिता व पति रामलाल एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 13 की खातेदारी में दर्ज

है। आराजी खसरा नं0 25 के सहखातेदार गोरू पुत्र सुखदेव जाट की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 2 ता 13 है तथा खातेदार रामलाल पुत्र कालू जाट की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 14 व 20 है। उक्त मृतक गोरू व रामलाल के वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे नामांतकरण नही खुला है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नं0 25 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 323 से सिवायचक भूमि खसरा नं0 21 मे से होकर अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 22 मे से होकर गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 24 से आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यंत्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे जाने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 22 मे से होकर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है तथा आने जाने नही दे रहे है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 ने खसरा नं0 21 सिवायचक भूमि पर गेट लगाकर बंद कर दिया है तथा कब्जा कर लिया जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 323 से सिवायाचक भूमि खसरा नं0 21 मे से होकर अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 22 मे से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 द्वारा रास्ता बंद करने से प्रार्थीगण अपनी अन्य खातेदारी की भूमि खसरा नं0 27, 28, 7, 6 पर भी आने जाने से वंचित हो रहे है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 13 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नं0 25 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का बालून्दा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये गै0म0 रास्ता खसरा नं0 323 से सिवायचक भूमि खसरा नं0 21 मे से होकर अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 22 मे से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण 2 ता 14 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है :— मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी आराजी पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। हां प्रार्थी की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित रास्ता रिकार्डेड रास्ते आराजी खसरा नं0 323 रकबा 0.93 है0 गै0मु0 रास्ता से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई व चौडाई आराजी खसरा नं0 21 रकबा 0.36 है0 किस्म सिवायचक में से लम्बाई व चौडाई क्रमश 162 व 5 मीटर अर्थात 810 वर्गमीटर, खसरा नं0 22 रकबा 0.41 किस्म खातेदारी में ये लम्बाई व चौडाई क्रमश 99 व 6 मीटर अर्थात 594 वर्गमीटर, खसरा नं0 32 रकबा 1.05 है0 किस्म सिवायचक में से लम्बाई व चौडाई क्रमश 33.32 व 6 मीटर अर्थात 199.92 वर्गमीटर होगी। रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर की गणना टीआरए शाखा के अनुसार निम्ननुसार हैः—

खसरा नं0 21 (सिवायचक) रकबा 810 वर्गमीटर के अनुसार डीएलसी दर 360000/हैक्टर से राशि 29160 रू

खसरा नं0 22 (खातेदारी) रकबा 594 वर्गमीटर के अनुसार डीएलसी दर 360000/हैक्टर से राशि 21384 रू

खसरा नं0 32 (सिवायचक) रकबा 200 वर्गमीटर के अनुसार डीएलसी दर 360000 / हैक्टर से राशि 7200 रू
इस प्रकार दुगुनी दर से कुल राशि 115488 रू होगी।

आवेदक की आराजी सामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा लाल स्याही से चिन्हित कर संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य आराजी खसरा नं0 21 मे बबूल के पेड खडे हुऐ है खसरा नं0 21 से रोड की तरफ लोहे का गेट लगा हुआ है व आराजी खसरा नं0 21 में 6 नीम के पेड भी स्थित है। अप्रार्थी रास्ता देने मे सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार नगरफोर्ट ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। **पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 25 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का बालून्दा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। चूंकि खसरा न0 25 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 चाह प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण 2 ता 13 की खातेदारी में अंकित है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य आराजी खसरा नं0 21 मे बबूल के पेड खडे हुऐ है एवं आराजी खसरा नं0 21 में 6 नीम के पेड भी स्थित है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड़ इत्यादि संरचना होने से प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत नही होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार / खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)